न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 12/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2015/00014

अनवान

1. श्री खेमराज पिता पदमा मीणा, निवासी सरसिया काड़ फला, तहसील सराड़ा।
2. श्री कमल पिता नानजी मीणा, निवासी सरसिया काड़ फला, तहसील सराड़ा।
3. श्री रूपा पिता नानजी मीणा, निवासी सरसिया काड़ फला, तहसील सराड़ा।
4. श्री भेरा पिता पदमा मीणा, निवासी सरसिया काड़ फला, तहसील सराड़ा।

– प्रार्थीगण/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लालचंद पिता कचरा मीणा, निवासी सरसिया काड़ फला, तहसील सराड़ा।
2. श्री चन्द्रशेखर पित कचरा मीणा, निवासी सरसिया काड़ फला, तहसील सराड़ा।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री भूरालाल ड़ांगी, अधिवक्ता विपक्षीगण।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 06-10-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम सरसियाकाड़, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 2496 रकबा 0.6200हेक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षीगण को आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 28.12.2010 को हुआ था। उक्त कथित आवंटन नियमों के विपरित किया गया हैं। विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा 30 वर्षो से चला आ रहा हैं, इस संबंध मे प्रार्थीगण को धारा 91 लेण्ड़ रेवेन्यू एक्ट के नोटिस मिले, पेनाल्टी भी जमा करायी है। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है। उक्त आवंटन के पूर्व ओक्युपाईड़ एवं अनओक्युपाईड़ भूमि की सूची जारी नहीं की गई। विपक्षीगण ने फार्म भरते समय उसके पास कितनी भूमि खाते मे है, जानबुझकर छुपाया गया हैं, जबकि उसके पास पूर्व मे खाते मे पीवल 6 बीघा से अधिक भूमि है अर्थात असिंचित क्षेत्र इसका डबल 12 बीघा है तथा 11 बीघा से अधिक का व्यक्ति भूमिहीन काश्तकार नहीं होता हैं। कथित आवंटन 28.12.2010 को किया गया था एवं उसी दिनांक को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की राय दे दी गई एवं उसी दिनांक को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के मकान बने हुए है एवं प्रार्थीगण निवास करते हैं। आवंटन के पूर्व नियम 7 की भी अवहेलना की गई हैं। भूमि के

आवंटन से पूर्व न तो उद्घोषणा पत्र जारी किया गया, न ही उद्घोषणा पत्र की तामिल करायी गई, न उद्घोषणा पत्र सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने मिसप्रजेन्टेशन होते हुए भी विपक्षीगण के नाम पर उक्त भूमि का आवंटन कर दिया। विवादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी भूमि से लगी हुई हैं एवं उस पर भी अपीलान्ट के मकान बने हुए हैं। आराजी संख्या 2496 पर भी प्रार्थीगण का मकान बना हुआ हैं। विपक्षी आवंटी लालचंद पशुओं का डॉक्टर है एवं स्वयं कृषि कार्य नहीं करता हैं। विपक्षी आवंटी चन्द्रशेख वार्ड पंच है, वह भी कृषि कार्य नहीं करता हैं। विपक्षीगण द्वारा आवंटन के पश्चात् आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की गई हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पक्ष मे किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर भूमि को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को मौजा सरसियाकाड़, तह. सराड़ा की आराजी संख्या 2496 रकबा 0.6200हे. भूमि आवंटन सलाहकार समिति की राय से नियमानुसार आवंटित की गई हैं। उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा उनके बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है। आवंटन से पूर्व विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 91 के नोटिस जारी किये गये एवं नियमानुसार पात्र पाये जाने पर ही विपक्षीगण को उक्त भूमि का आवंटन हुआ हैं। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि उनका कब्जा 30 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा हों। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार न होकर प्रार्थीगण के पास करीब 50 बीघा जमीन होकर काश्त कर रहे हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि पर अपने मकान बनाकर निवास कर रहे है, जहां विपक्षीगण ने अपने पुत्र कांतिलाल के नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा है एवं काश्त कर रहे हैं। आवंटन की समस्त पात्रता पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 28.12.2010 को आवंटन किया जाकर विधिवत कब्जा सुपुर्द किया गया हैं। विपक्षीगण द्वारा न तो कोई तथ्य छुपाया है और न ही कोई मिसप्रजेन्टेशन किया हैं। विपक्षीगण ने भारी लागत लगाकर भूमि को आबादान किया हैं। विपक्षी संख्या 1 लालचंद पशु चिकित्सक न होकर कृषि कार्य करता हैं तथा पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रखने से गांव के पशुओं की सुरक्षा करता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र सारहीन हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटन आदेश को यथावत रखा जावें।

तहसीलदार से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट मे न्यायालय को अवगत कराया है कि आराजी संख्या 2496 रकबा 0.6200हे. भूमि मगरीनुमा होकर उसमे एक मकान पक्का एवं एक अपूर्ण बना हुआ हैं। उक्त पक्के मकान मे विपक्षी संख्या 1 लालचंद का पुत्र कांतिलाल अपने परिवार सहित निवास कर रहा हैं एवं अपूर्ण कमरा रूपा के पुत्र अमरा द्वारा बनाया जाना बताया गया। उक्त आराजी के चारो ओकर थुअर की बाड़ बनी होकर वर्तमान मे श्री लालचंद का कब्जा होना जाहिर आया। मौतबिरान द्वारा उक्त भूमि मे कांतिलाल के पिता

लालंचद के अतिरिक्त भेरा, खेमा पिता पद्मा, रूपा, कमजी पिता नानजी, गौतम, तेजी पिता रामा मीणा वगैरह का पूर्व मे कब्जा होना जाहिर किया। वर्तमान मे शेष भूमि पड़त होना पायी गई। प्रकरण मे तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड़ अधिकारी से मूल आवंटन पत्रावली मंगवायी जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तारीख नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराया। बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. आर.आर.ड़ी 1995 पृष्ठ संख्या 340
2. आर.आर.ड़ी 1982 पृष्ठ संख्या 497
3. आर.आर.ड़ी 1982 पृष्ठ संख्या 237
4. आर.आर.टी 2001(2) पृष्ठ संख्या 1410
5. आर.आर.टी 2005(1) पृष्ठ संख्या 83
6. आर.आर.ड़ी 2002 पृष्ठ संख्या 1
7. आर.आर.टी 2006(2) पृष्ठ संख्या 1138
8. आर.बी.जे. (13) 2006 पृष्ठ संख्या 168
9. आर.आर.टी 2007(2) पृष्ठ संख्या 1048

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण के जवाब, उपखण्ड़ अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मे वर्णित बिंदुओ एवं तथ्यो का गंभीरता से अध्ययन किया एवं जमाबंदी की नकल का अवलोकन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 श्री लालचंद पिता कचरा मीणा एवं विपक्षी संख्या 2 चन्द्रशेखर पिता कचरा मीणा द्वारा मौजा सर्सियाकाड़, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 2496 रकबा 0.6200हे. भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षीगण को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर प्रभारी अधिकारी, प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010, तहसील सराड़ा, तहसीलदार, विधायक, प्रधान एवं सरंपच के हस्ताक्षर आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। नकल वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070–73 से यह ज्ञात होता है कि मौजा सर्सियाकाड़, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 2496 किस्म मगरी रकबा 0.6200हे. भूमि वर्तमान मे विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड हैं।

प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त वर्णित विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का कब्जा उक्त भूमि पर होता तेा उस पर अवश्य ही धारा 91 की कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। इसके विपरित विपक्षीगण आवंटी द्वारा प्रकरण मे धारा 91 की रसीद वर्ष 2010

की प्रति एवं विद्युत का बिल अक्टुबर 2014 न्यायालय मे प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण का यह कथन है कि विपक्षी संख्या 1 श्री लालचंद पिता कचरा मीणा पशु चिकित्सक है एवं विपक्षी संख्या 2 श्री चन्द्रशेखर पिता कचरा मीणा वार्डपंच होकर आजीविका कृषि पर निर्भर नहीं है, किन्तु वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 का क्रमशः पशु चिकित्सक व वार्ड पंच होने की पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने प्रार्थीगण के अधिवक्ता असफल रहे है। तहसीलदार से प्राप्त मौके की रिपोर्ट अनुसार भी वर्णित आराजीयात पर निर्मित पक्के कमरे मे विपक्षी संख्या 1 के पुत्र का निवास करना पाया गया है। मौका रिपोर्ट मे मौतबिरान अनुसार पूर्व मे कब्जा प्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन का होना रिपोर्ट मे अंकित है, किन्तु वर्तमान रेकर्ड के आधार पर उक्त आराजी के चारो ओर थुअर की बाड लगी होकर कब्जा विपक्षीगण का ही पाया गया है। आवंटन से संबंधित आवंटन पत्रावली संख्या 100/2010 के आधार पर उक्त आवंटन मिसप्रजेन्टेशन या गलत तरीके से हुआ हो, इसकी पुष्टि नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति मे विपक्षीगण के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करना हम उचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा प्रभारी अधिकारी, प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010, तहसील सराड़ा द्वारा विपक्षीगण को आराजी संख्या 2496 रकबा 0.6200हेक्टेयर पर किया गया आवंटन आदेश दिनांक 28.12.2010 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर